

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस सं०.****-333 वर्ष 2026**

संगीता राज

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ के माध्यम से और एक अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (ओं) के अधिवक्ता : मनोज कुमार सिंहप्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किया गया प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. मामले को पुकारा गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के 10.03.2026 के पत्र पर आधारित 16.03.2026 की कार्यालय आख्या के अनुसार, नोटिस दिए जाने के पश्चात, निजी प्रतिवादी पक्ष संख्या 2/सूचनाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में, और साथ ही इस न्यायालय के दिनांक 10.03.2026 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कहा गया है कि "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख पर, यदि तामीला पर्याप्त पाया जाता है और प्रतिवादी सं०. 2 की ओर से वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करने के लिए कोई उपस्थित नहीं

होता है, तो ऐसी स्थिति में मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा और पहली ही सुनवाई में एक उचित आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिवादी सं०. 2 के प्रतिकूल आदेश भी शामिल हो सकता है", न्यायालय ने इस मामले में आगे की कार्यवाही की।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं, तथा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।

4. वर्तमान अग्रिम जमानत अर्जी आवेदिका द्वारा प्र.सू.रि./मुकदमा अपराध सं०. 624 वर्ष 2025 के संबंध में, धारा 105 बी.एन.एस. के अंतर्गत, पुलिस थाना- कोतवाली गोला, जिला- खेरी में दायर की गई है।

5. दिनांक 19.02.2026 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने आवेदक के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। संदर्भित, आदेश दिनांक 19.02.2026, निम्नानुसार पढ़ा जाता है:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत अर्जी आवेदक द्वारा प्र.सू.रि./मुकदमा अपराध सं०. 624 वर्ष 2025 के संबंध में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में "बी.एन.एस.") की धारा 105 के अंतर्गत, पुलिस थाना कोतवाली गोला, जिला- खेरी में दायर की गई है।

3. यह कहा गया है कि संबंधित प्र.सू.रि. के अनुसार, आवेदिका और सह-आरोपी मनोज ने 27.10.2025 को लगभग 10:00 बजे मृतक पर हमला किया, और लगी हुई चोटों के कारण शिकायतकर्ता के बेटे की 06.11.2025 को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

4. आगे यह भी कहा गया है कि आवेदिका जगत नारायण की पुत्री है और उसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

5. आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी मनोज, जिसके विरुद्ध आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, को आपराधिक विविध जमानत आवेदन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या 12671 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 05.01.2026 के आदेश के अंतर्गत जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

6. आगे यह भी कहा गया है कि मृतक की माँ ने गलत इरादे से आवेदिका को इस मामले में फँसाया है।

7. उपरोक्त के क्रम में, यह कहा जाता है कि प्र.सू.रि. में बताई गई घटना की तारीख, यानी 27.10.2025 को, आवेदक लगभग 6 महीने की गर्भवती थी; और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदिका उस अपराध में शामिल नहीं थी जिसका उल्लेख प्र.सू.रि. में किया गया है, जिसके अनुसार, शिकायतकर्ता के बेटे पर लात-धूसों से हमला किया गया था और उसे ज़मीन पर भी पटक दिया गया था।

8. आवेदिका की गर्भावस्था से संबंधित तथ्य को स्थापित करने के लिए, आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदिका की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, नवजात शिशु के जन्म प्रमाण पत्र तथा नवजात शिशु की जन्म रिपोर्ट पर भरोसा जताया है, जिन्हें क्रमशः संलग्नक सं०. 3 से 5 के रूप में संलग्न किया गया है।

9. सम्यक विचार के उपरांत, अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत, यह आदेश है कि गिरफ्तारी होने पर, अभियुक्त-आवेदिका- संगीता राज को पूर्वोक्त अपराध मामले (उपरोक्त) में 25,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू को संबंधित पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) यह कि अभियुक्त-आवेदक पुलिस अधिकारियों के समक्ष पूछताछ के लिए जब भी आवश्यक होगा उपस्थित होगा और विवेचना में सहयोग करेगी;
- (ii) यह कि अभियुक्त-आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो; और
- (iii) यह कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगी।

10. नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब शीघ्र तिथि पर दिया जाना हो।
इस संबंध में आवश्यक कदम चार कार्य दिवसों के भीतर उठाए जाएं।

11. इस आवेदन को 10.03.2026 को शीर्ष 20 मामलों में सूचीबद्ध/प्रस्तुत किया जाए।

12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आवेदन के जवाब में एक शपथपत्र दायर करें, जिसमें संबंधित पुलिस अधिकारी के माध्यम से प्रतिवादी सं०. 2 और 3 को नोटिस की तामील का साक्ष्य संलग्न करें, और अगली सुनवाई पर इसे इस अदालत के समक्ष पेश करें।”

6. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता अभिलेख से यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि ज़मानत याचिका में कोई ऐसा प्रतिकूल तथ्य प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय का यह मत है कि मामले के गुण-दोष पर विचार करने के पश्चात् आवेदक को अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता भी ऐसा कोई तथ्य इंगित नहीं कर सके, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक ने जाँच की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है; अथवा ऐसा कोई अन्य स्पष्ट तथ्य, जो मामले के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सके।

7. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अग्रिम ज़मानत याचिका को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और आवेदक—संगीता राज को मुकदमे के निपटारे तक अग्रिम ज़मानत स्वीकार किया जाता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- (i) यह कि अभियुक्त-आवेदक पुलिस अधिकारियों के समक्ष पूछताछ के लिए जब भी आवश्यक होगा उपस्थित होगा और विवेचना में सहयोग करेगी;
- (ii) यह कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, ताकि उसे/उसकी ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ छेड़छाड़ नहीं करेगी;

- (iii) यह कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं करेगी;
- (iv) यह कि आवेदक हर निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए; और
- (v) यह कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगी/उसे डराएगी-धमकाएगी नहीं।

8. चूक होने की स्थिति में, जांच एजेंसी के पास इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।

17 मार्च 2026

अरुण/-

(सौरभ लवानिया, न्यायाधीश)